न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी 4778/2018/रीवा/भू.रा.

चेतना मिश्रा पत्नी वी.पी.मिश्रा
निवासी बगला नम्बर–8 व्ही.एफ.जे.
सेक्टर–1, जबलपुर म.प्र.

विरूद्व

1. किरण देवी पत्नी स्व.रामदास वर्मा
   निवासी ग्राम मौजा घोघर
   तहसील हुजूर, जिला–रीवा म.प्र.
2. गंगा प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद
   निवासी उर्रहट, तहसील हुजूर,
   जिला–रीवा म.प्र.

कलेक्टर जिला–रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 101/अ–6/निगरानी/2007–2008 में पारित आदेश दिनांक 29/05/2018 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं विचाराधिकांर रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूखण्ड आवेदक ने अनावेदक–2 से पंजीकृत पट्टा विलेख द्वारा प्राप्त किया था एवं उसका आधिपत्य लिया था, आधिपत्य लेने के बाद आवेदक ने भूखण्ड का विधिवत व्यपवर्तन कराया।

3. यह कि, आवेदक को व्यपवर्तन आदेश के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा पैट्रोल पंप स्थापित करने के लिये अनुमति प्रदान की गयी जिसके आधार पर आवेदक ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन से अनुबंध कर पैट्रोल पंप स्थापित किया है।

4. यह कि, आवेदक के पट्टा दाता गंगा प्रसाद को उपरोक्त भूखण्ड पूर्व भूमि स्वामी रामदास से वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था वसीयतकर्ता रामदास की मृत्यु के बाद वसीयत ग्रहिता का नामांतरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा चुका था।

5. यह कि, अनावेदक–1 ने वसीयत ग्रहिता गंगा प्रसाद के नामांतरण आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलकर्ता अनावेदक–1 के हित में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया। जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व अभिलेखो, व्यपवर्तन आदेश तथा भूखण्ड पर स्थापित पैट्रोल पंप आदि से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किये।

(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4778/18/रीवा/भू.रा. चेतना/किरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 101/अ-6/निग/07-08 में पारित आदेश दिनांक 29/05/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	